

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम-चलमाडा  
कोयल गाँव का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम चलमाडा देवायत  
 तहसील सल्ट, जिला अल्मोडा

अनापत्ति प्रमाण पत्र  
 उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम चलमाडा  
 के निर्माण हेतु (1.21.8 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.21.8 हे० सिविल सोयम भूमि.....1.21.8 हे०,  
 वन पंचायत भूमि 1.21.8 हे०) अर्थात् कुल 1.21.8 हे० वन भूमि का कोयल निर्माण  
 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय  
 द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चलमाडा देवायत द्वारा दिनांक 13-10-014 को  
 सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के  
 संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार  
 अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर  
 आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट  
 किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का  
 कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु  
 आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित  
 किया गया कि ग्राम चलमाडा देवायत के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि  
 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर  
 कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/- पुनोहित  
 ग्राम सचिव  
 ग्राम विकास अधिकारी  
 सल्ट (अल्मोडा)

प्रधान कमल  
 ग्राम पंचायत ह०/- चलमाडा  
 ग्राम प्रधान  
 विकास खण्ड - सल्ट (अल्मोडा)

नोट :- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो  
 तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।  
 उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता  
 एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

13-10-2014

दिनांक .....को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत थलमाड/देवायल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री इन्द्रसिंह ठिठ	
2-	श्री कृष्णसिंह ठिठ	
3-	श्री आनन्दसिंह	
4-	श्री गणेश ठिठ	
5-	श्री चन्दनसिंह	
6-	श्री हरिदाससिंह	
7-	श्री सनपसिंह	
8-	श्री देवसिंह	
9-	श्री हरिसिंह	
10-	श्री बलवन्तसिंह	
11-	श्री महेन्द्रसिंह	
12-	श्री रामसिंह	
13-	श्री गोपालसिंह	
14-	श्री नरसिंह	
15-	श्री भानुसिंह	
16-	श्री भीमसिंह	
17-	श्री उमरावासिंह	
18-	श्री आनन्दसिंह	
19-	श्री विमेशसिंह	
20-	श्री चन्दनसिंह	

21. शाश्वती वसन्ती देवी  
अलगुजाम (पधान)

प्रधान कमला  
ग्राम पंचायत - थलमाड  
हो/ देवायल  
ग्राम प्रधान (अल्मोडा)  
विकास खण्ड



प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम वनवास तक शोचनीय

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सतलु

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, सतलु

उपखण्ड सतलु परिक्षेत्र के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वन पंचायत भूमि, (सतलु) हे० आरक्षित वन भूमि, 987 हे० सिविल एवं सोयम, वन भूमि 1124 हे० भूमि, अर्थात् कुल 2205 हे० वन भूमि का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सतलु) की दिनांक 73-10-014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री रामचन्द्र राणा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री रामचन्द्र राणा उपजिलाधिकारी सतलु अध्यक्ष
- 2- श्री रामचन्द्र राणा उप प्रभागीय वनाधिकारी सतलु सदस्य
- 3- श्री रामचन्द्र राणा सहायक समाज कल्याण अधिकारी सतलु सदस्य/सचिव
- श्री रामचन्द्र राणा बी०डी०सी० क्षेत्र देवाथल सदस्य

क्षेत्र पंचायत देवाथल

विकास खण्ड सतलु (अल्मोड़ा)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम वनवास तक शोचनीय

भूमि परियोजना हेतु.....हे० वन

प्रान्तीय स्तर को 01/10/2000 तक

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों को समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सतलु द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड हवेली परिक्षेत्र के अन्तर्गत परियोजना के निर्माण हेतु 2.205 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्षय  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील—  
जनपद—

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अन्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्षय  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील—  
जनपद—

AD  
Amin

नामल सह बाह्य  
तहसील क्षेत्र..... तह०..  
जनपद..... (उत्तराखण्ड)




A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman. I.A.S. Deputy Commissioner. Almora on date.....16.01.15.....at time.....6:00 PM.....at Almora. in which application claiming rights of ..... area measuring 2.205.. hect. for the Construction of scptn to Sangram Senani vill. Thalmar..... of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions. no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :




16.01.15  
Signature  
जिला अधिकारी

(Full name of the official seal of the District Collector)

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 2205 net. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above

  
16/03/20  
निला प्रमोद  
Signature  
बनोबा

(Full name of the official seal of the District Collector)

**FORM-1**  
**Government of Uttarakhand**  
**Office of the District Collector : Rudraprayag**

No : .....

Dated: .....


**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers) Recognition of Forest Right, Act 2006(FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 23013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that 2.205 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Sutnita Sangrim Senari's village Thalmar Road (Purpose for diversion of forest land) in Almora district falls within jurisdiction of Thalmar village(s) in Salt Tehsils.

It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.205 Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent of it.
- (c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribble Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

  
16.01.13  
जिला अधिकारी  
श्रीमती

(Full name of the official seal of the District Collector)



प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम :- स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के गांव-वस्ती  
तक जोर बाग का नव निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बल्लभगढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के

गांव-वस्ती परियोजना के निर्माण हेतु 2025 राज्य वेनाप 9 वन भूमि जोड़ दिनांक (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाइन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
बल्लभगढ़

जिलाधिकारी



## प्रारूप-48

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानी के ग्राम थलमाड़ को मुख्य मोटर मार्ग का निर्माण। (6.00किमी.) (2.205है०)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित कार्य परियोजना निर्माण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य हेतु गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता है। इस हेतु ग्राम देवायल, पटवारी क्षेत्र देवायल, तहसील सल्ट, जिला अल्मोड़ा के खाता संख्या 54 की 4.410हे० सिविल भूमि चयनित कर ली गई है।

उक्त परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि की प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त उपरोक्त भूमि का अमल दरामद (Mutation) वन विभाग के नाम कर दिया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०  
रानीखेत (अल्मोड़ा)

सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०  
रानीखेत (अल्मोड़ा)

अधिष्ठाता अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०  
रानीखेत (अल्मोड़ा)

पटवारी,  
तहसील सल्ट  
जिला-अल्मोड़ा (उत्तरांचल)

तहसीलदार  
तहसीलदार,  
सल्ट  
जिला-अल्मोड़ा (उत्तरांचल)

उप जिला अधिकारी  
उप जिलाधिकारी,  
सल्ट (अल्मोड़ा)  
जिला-अल्मोड़ा (उत्तरांचल)

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानी के ग्राम थलमाड़ को मुख्य मोटर मार्ग का निर्माण। (6.00किमी.) (2.205है०)

### क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानी के ग्राम थलमाड़ को मुख्य मोटर मार्ग के निर्माण में 4.410है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि की आवश्यकता है, जिसके एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम देवायल के खतौनी खाता सं० 54 की 4.410है० सिविल भूमि उपलब्ध है तथा राजस्व विभाग को वृक्षारोपण हेतु कोई आपत्ति नहीं है।

अपर सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०  
रानीखेत (अल्मोड़ा)

सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०  
रानीखेत (अल्मोड़ा)

अधिष्ठासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०  
रानीखेत (अल्मोड़ा)

पटवारी,  
तहसील सल्ट  
नाम जिला-अल्मोड़ा (उत्तरांचल)  
जनपद-अल्मोड़ा (उत्तरांचल)

तहसीलदार  
नाम जिला-अल्मोड़ा (उत्तरांचल)  
सल्ट

उप जिला अधिकारी,  
उप जिलाधिकारी,  
सल्ट (अल्मोड़ा)  
जिला-अल्मोड़ा (उत्तरांचल)



परियोजना का नाम :- विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण।

### क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड़ तक मोटर मार्ग के निर्माण में 2.12.55 है0 वन भूमि प्रभावित हो रही है जिसके एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम पकापल के खतौनी खाता सं0 .... 54 की 4.410 है0 सिविल भूमि उपलब्ध है तथा राजस्व विभाग को वृक्षारोपण हेतु कोई आपत्ति नहीं है।

अपर सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0  
रानीखेत (अल्मोड़ा)

सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0  
रानीखेत (अल्मोड़ा)

अधिश्रासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0  
रानीखेत (अल्मोड़ा)

पटवारी,  
तहसील सल्ट  
काशी जिला-बल्लभगढ़ (उत्तरांचल)  
तहसील अधिकारी,  
सल्ट (अल्मोड़ा)


तहसीलदार  
तहसीलदार,  
सल्ट  
जिला-बल्लभगढ़ (उत्तरांचल)

उप निरीक्षक,  
उप जिलाधिकारी,  
सल्ट (अल्मोड़ा)  
जिला-अल्मोड़ा (उत्तरांचल)

जियो रेफेरेंस मैप – जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानी के ग्राम थलमाड़ को मुख्य मोटर ☐मार्ग से जोड़ने हेतु

0 0.15 0.3 0.6 Km

Scale - 1:10,000



LONGITUDE	LATITUDE	ID	LONGITUDE	LATITUDE
79° 8' 58.921" E	29° 38' 22.023" N	16	79° 9' 34.917" E	29° 39' 12.085" N
79° 8' 59.219" E	29° 38' 28.174" N	17	79° 9' 34.119" E	29° 39' 4.711" N
79° 9' 1.544" E	29° 38' 35.500" N	18	79° 9' 32.884" E	29° 38' 59.730" N
79° 9' 5.613" E	29° 38' 35.970" N	19	79° 9' 41.600" E	29° 38' 54.377" N
79° 9' 11.729" E	29° 38' 35.297" N	20	79° 9' 42.260" E	29° 38' 51.876" N
79° 9' 17.890" E	29° 38' 35.817" N	21	79° 9' 44.675" E	29° 38' 49.161" N
79° 9' 20.408" E	29° 38' 41.395" N	22	79° 9' 45.898" E	29° 38' 42.024" N
79° 9' 18.775" E	29° 38' 46.540" N	23	79° 9' 45.750" E	29° 38' 34.692" N
79° 9' 23.696" E	29° 38' 50.411" N	24	79° 9' 45.058" E	29° 38' 27.973" N
79° 9' 25.107" E	29° 38' 48.406" N	25	79° 9' 47.846" E	29° 38' 28.281" N
79° 9' 32.335" E	29° 38' 47.752" N	26	79° 9' 44.710" E	29° 38' 23.943" N
79° 9' 26.773" E	29° 38' 55.351" N	27	79° 9' 46.656" E	29° 38' 22.216" N
79° 9' 25.469" E	29° 38' 59.886" N	28	79° 9' 44.457" E	29° 38' 20.403" N
79° 9' 29.892" E	29° 39' 3.936" N	29	79° 9' 43.849" E	29° 38' 16.018" N
79° 9' 33.113" E	29° 39' 7.006" N			

Legend


- GPS Coordinates
- Proposed Road
- Existing Road



जियो रेफरेंस मैप –जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानी के  
ग्राम थलमाड़ को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

0 40 80 160  
m

Scale - 1:2,500



## प्रतिपूरक वनाधिकार स्थान उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलयाड़ा को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जंबाई - 600 किमी.

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण के लिये देखण्ड सिखितभूमि प्रस्तावित क्षेत्र प्रबन्धकारी व वनीकरण दृष्टिकोण से उपयुक्त है।

(P)  
(विभागीय अधिकारी)  
राजीव  
प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०  
राजीव

(सुनील कुमार सिंह)  
कनिष्ठ अधिकारी  
प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०  
राजीव

(सशोक कुमार)  
सहायक अधिकारी  
प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०  
राजीव

(के० एच० अलवाला)  
अधिसूचक अधिकारी  
प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०  
राजीव

वन क्षेत्र अधिकारी  
राजीव वन क्षेत्र  
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

वन प्रभाग अधिकारी  
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

वन दरोगा

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा



## वन भूमि की मांग का औचित्य

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानी के ग्राम थलमाड़ को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण (6.00किमी.) (2.205है0)

उपरोक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं. 2454/।।।-2/05(प्रा. आ.)/05 दिनांक 28.10.2005 के द्वारा 6.00 किमी. लम्बाई हेतु ₹ 83.40 लाख मात्र के लिए प्राप्त हुई है। यह मार्ग थलमाड़ गांव को सड़क से जोड़ने हेतु निर्मित किया जाना है। थलमाड़ गांव की कुल आबादी 402 है। प्रस्तावित समरेखण में कुल 3150मी0 लम्बाई (2.205है0) में सिविल बेनाप भूमि प्रभावित हो रही है, जिसमें 15 वृक्षों पातन की आवश्यकता होगी। थलमाड़ गांव को सड़क से जोड़ने हेतु इस समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, जिसमें सड़क निर्माण हेतु इससे कम वन भूमि प्रभावित हो रही है।

उक्त परियोजना हेतु की जा रही है वन भूमि की मांग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

सहायक अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
रानीखेत

अधिशाली अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,  
रानीखेत

## ईको-क्लास एवं देय एन.पी.वी. का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद अल्मोड़ा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ग्राम थलमाड़ा को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु याचित भूमि 2.205 है 0 व वन भूमि का ईको-क्लास 4 के अन्तर्गत 2 वन का घनत्व ..... है। एन.पी.वी. के धनराशि 2.205 X 8,25,000 = 18,63,225 = 60

..... X ..... = .....

(रूपये अठारह लाख तेसठ हजार दो सौ पच्चीस मात्र निर्धारित है।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा  
उप-प्रभागीय वनाधिकारी



**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत**

Ph. No. 05966-220679  
Fax No. 05966-220679

E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक २२६५/३६सी.  
सेवा में,

दिनांक रानीखेत, २१, २०१६

प्रभागीय वनाधिकारी,  
अल्मोड़ा वन प्रभाग,  
अल्मोड़ा।

**विषय :-** जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानी के ग्राम थलमाड को मुख्य मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु।(प्रस्ताव संख्या 10556/2015)

**सन्दर्भ :-** आपका पत्रांक मैमो/12-1(2) दिनांक 30.05.2016।

महोदय,


उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 30.05.2016 को प्रस्ताव में लगाई हुई आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	Short narrative of the project does not give adequate information about the proposal (Online para-A-1(iii) of part-I)	Short narrative of the project giving adequate information about the proposal (Online para-A-1(iii) of part-I) has been submitted.
2.	The period for which forest land is proposed to be diverted is mentioned as NIL (Online para A-1(x))	The period for which forest land is proposed mentioned. (Online para A-1(x))
3.	Online application is made by shri Kundan Lal Verma (Online para-A-3(i), (ii) & (iii) but the authorization letter is issued in favour of shri Satish Chandra Arya(Online para A-3(xvii))	Authorization letter named of shri Kundan Lal Verma attached.
4.	Component wise breakup of forest land required is not provided in para-B-2.4 of online part-I.	Component wise breakup of forest land is provided in para-B-2.4 of online part-I.
5.	Soft copy of the geo-referenced map showing the forest land proposed for diversion is submitted in Googel Earth Map (Kml file) which does not serve the useful (shp file) showing geo-coordinates i.e. latitudes and longitudes at regular interval of 200 m to 300 m including all turning points (curves) along the alignment of the road to be prepared through GIS software.	Soft copy of the geo-referenced map showing the forest land proposed for diversion is submitted in Googel Earth Map (Kml file) showing geo-coordinates i.e. latitudes and longitudes at regular interval of 200 m to 300 m including all turning points (curves) along the alignment of the road indicated in the GIS software.
6.	Scanned copy of the map prepared by using GPS i.e. the geo-referenced digital map showing geo-coordinates at regular interval of 200 m to 300 m including all turning points (curves) along the alignment of the road to be prepared through GIS software has not been attached at para-B-2.4 instead, sol Toposheet map showing geo-coordinates at start and ent point only is attached.	Scanned copy of the map prepared by using GPS i.e. the geo-referenced digital map showing geo-coordinates at regular interval of 200 m to 300 m including all turning points (curves) along the alignment of the road prepared through GIS software has been attached at para-B-2.4 instead, sol Toposheet map showing geo-coordinates at start and ent point only is attached.
7.	In para-D of online part-I justification for rejection of alternatives examined has not been provided.	In para-D of online part-I justification has been attached.

क्रमशः पेज-2 पर



8.	The forest land proposed for diversion is mentioned as 1.347 ha instead of 2.205 ha in all the documents concerning FRA attached in para-K of online part-I.	The forest land proposed for diversion is corrected & mentioned 2.205 ha in all the documents concerning FRA attached in para-K of online part-I.
9.	At the end of online part-I, 38 additional documents have been uploaded but, the title of the documents are not given in the remarks column except the document at sr. 1, 2, 37 & 38.	At the end of online part-I, 38 additional documents have been uploaded. The title of the documents are given in the remarks column including the document at sr. 1, 2, 37 & 38.
10.	In online part-II, density is mentioned as 0.2 but, 7 trees per hectare may not account for 0.2 density.	In online part-II, density would be removed by the DFO level.
11.	As per details given in online part-I & Part-II, CA is Proposed over 3.00 ha instead of 4.41ha (2.205 ha x2) Dewayal Civil Land.	As per details given in online part-I & Part-II, CA is corrected as 4.41ha (2.205 ha x 2) on Dewayal Civil Land.
12.	Soft copy of the geo-refernced map showing the area proposed for CA is submitted in Google Earth Map (Kml file) which does not serve the useful pupose. State Govt. may submit the soft copy of the geo-refernced map of the areas proposed for CA in Shapefile (shp file) showing geo-coordinates of all the corner points along the periphery of the polygon.	Soft copy of the geo-refernced map showing the area proposed for CA is submitted in Google Earth Map (Kml file) The soft copy of the geo-refernced map of the areas proposed for CA in Shapefile (shp file) showing geo-coordinates of all the corner points along the periphery of the polygon submitted.
13.	A copy of survey of India Toposheet is attached in place of scanned copy of the geo-refernced map of the forest land proposed for C.A. at para-13(ii) on online part-II. State Govt. may submit the scanned copy of the geo-refernced digital map prepared by using DGPS of total station showing geo-coordinates of all the corner points along the periphery of the polygon.	Scanned copy of the geo-refernced map of the forest land proposed for C.A. at para-13(ii) on online part-II. Prepared by using DGPS of total station showing geo-coordinates of all the corner points along the periphery of the polygon.
14.	Scanned copy of the Google Earth map of the forest land proposed for C.A. is attached in place of copy of Survey of India Toposheet at para-13(iii) of online part-AA.	Scanned copy of the Survey of India Toposheet at para-13(iii) of online part-AA attached.
15.	The suitability certificate for the area proposed for CA has not been uploaded with CA scheme in online part-II.	The suitability certificate for the area of CA is attached.
16.	NPV calculation is attached as additional document but, the area in mentioned at 2.50 ha instead of 2.205ha.	NPV calculation is attached as additional document, the area is corrected & mentioned at 2.205 ha instead of 2.50ha.
17.	May provide hard copy of part-I & part-II signed by the User Agency and DFO exactly similar to what has been uploaded online to be placed in the hard copy of the proposal.	Online submission of part-I and part-II is similar of hard copy.
18.	Signed copies of part III, IV and part V are not attached in the copy.	The information of part-III, IV and V is not related to user agency.

  
 अधिशासी अभियन्ता,  
 प्रान्तीय स्क्वड, लोक निर्माण विभाग,  
 रानीखेत।